निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 143/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

रामेश्वर पुत्र नाथू जाति मीणा निवासी ग्राम जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री चिमन लाल मीणा आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
2. शंकर लाल पुत्र कालूराम
3. लाली देवी पत्नी कालूराम
4. जयपाल पुत्र औंकार
5. प्रकाश पुत्र औंकार
6. बनारसी पत्नी औंकार
7. बनवारी लाल पुत्र नाथू
8. हंसू देवी पत्नी राकेश कुमार
9. रजना देवी पत्नी मनोज कुमार मीणा

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम जयचन्दपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 158/2021 ब उनवानी शंकर बनाम जयपाल व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री बृजेश कुमार शर्मा व आर॰ पी॰ शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री महावीर शेरावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 30.01.2023**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 158/2021 ब उनवानी शंकर बनाम जयपाल व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर शेरावत उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 17.06.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली में प्रशासन गावों के संग अभियान में बिना प्रतिवादी की सहमति लिये लोक अदालत की भावनाओं के विपरीत जाकर एक तरफा में ही विधि विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई, जिस पर प्रतिवादी को बिना सुने बिना सहमति लिये उक्त निर्णय डिक्री विधि विरुद्ध पारित किया गया है जिसका विरोध प्रार्थी द्वारा किया गया तो, पीठासीन अधिकारी गुस्सा हो गये और कहने लगे कि मै तो उक्त प्रकरण में आज ही कुर्रेजात के आदेश पारित करूंगा जबकि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 की तामील नहीं हुई है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये ही उक्त आदेश पारित कर दिये है। दिनांक 18.06.2022 को प्रार्थीगण/वादीगण ने एलानिया धमकी दी है कि हम तो उक्त प्रकरण में अपने मनमाफिक निर्णय करवा कर रहेंगे एवं अच्छी अच्छी जमीन हमारे हिस्से में लेकर रहेंगे। जिसके लिए हमारी तहसीलदार व पीठासीन अधिकारी से भी बातचीत हो चुकी है। दिनांक 01.07.2022 को प्रार्थी पटवारी हल्का से मिला और कुर्रेजात के बाबत पूछताछ की तो पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि मेरे ऊपर दबाव है, इसलिए मैंने उनके कहे अनुसार ही कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर दी है जिसे मैं दिनांक 07.07.2022 को पेश करूंगा। जिस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से कहा कि आप द्वारा हमें कुर्रेजात बाबत भी कोई सूचना नहीं दी जिस पर पटवारी हल्का ने कहा कि मुझे ऐसा करने को ऊपर से निर्देश प्राप्त थे, कि कुर्रेजात तैयार कर जल्द से जल्द भिजवाई जावे। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है ? जब अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थीगण से मिल गया है तो फिर प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है । इस प्रकार प्रार्थी का उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नहीं रही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले का अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी उक्त व्यक्तियों के प्रभाव में है तथा प्रकरण को बिना सम्यक कार्यवाही किये जल्दबाजी में निस्तारण करने पर आमादा है। प्रार्थी को किसी प्रकार से पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं है । इसलिए प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश दिया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में देरी किये जाने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
जयपुर

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर